



C.F. 18.6.15

मेरानी २००१-प्रक्रम-15

राजस्व पुनरीक्षण प्रक्रमांक -----/2015

रा.रा. श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

गवालियर खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष

संतोष पिता उदयराम चमार
निवासी - ग्राम मोरोद हाट
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रार्थी

श्री आर.एस.बाबराले
उन्निसाप्तक द्वारा जाज
दिनांक 17.6.15 को इन्दौर के पर
कुस्तुर ।

विरुद्ध

- (1) छोगालाल पिता भुवान
निवासी - आठ मिल असरावद बुजुर्ग,
इन्दौर (म.प्र.)
- (2) प्रकाश पिता देवीसिंह
निवासी - ग्राम धुलेट, तहसील व
जिला इन्दौर (म.प्र.)
- (3) मुकेश पिता देवीसिंह
निवासी - सदर
- (4) संतोष पिता देवीसिंह
निवासी - सदर
- (5) विष्णु पिता उदयपराम
निवासी - ग्राम मोरोद हाट
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थीगण

आविरत ..2..

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी २००।—पीबीआर/ 15

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि
के हस्ताक्षर

23-6-2015

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 10-4-2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्ट्या कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।


 (मनोज गोयल)
 अध्यक्ष